कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

शातिर वाहन चोर व नकबजन गिरोह का खुलाशा

जयपुर 15 मई । टोंक जिले की पुलिस ने वाहन चोरियों व नकबजनी की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिर वाहन चोर व नकबजन गिरोह का खुलाशा करने में सफलता प्राप्त की है।

पुलिस अधीक्षक टोंक श्रीमती प्रीति जैन ने बताया कि जिले में लगातार हो रही वाहन चोरियां व नकबजनी की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक श्री अवनीश कुमार शर्मा व वृताधिकारी वृत देवली श्री नरेन्द्र मोहन के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। 14 मई,17 को थानाधिकारी थाना देवली की विशेष टीम द्वारा नाकाबन्दी व चैंकिग के दौरान दो बिना नम्बरी काले रंग की पल्सर मोटरसाईकिल द्वारा बदमाश जहाजपुर तिराहा की तरफ से आ रहे थे। मोटरसाईकिलों के आगे की नम्बर प्लेटो पर समान नम्बर RJ-48-SA-6604 लिखे हुये दिखाई देने व दोनो मोटरसाईकिल पर दो–दो लडके आपस में मस्ती करते हुये बराबर चलाते आने व उक्त दोनों मोटर साईकिल एक ही नम्बर की होने पर उनके संबध में संदिग्ध होने की शंका होने पर थानाधिकारी ने हमराही जाप्ता की मदद से दोनों मोटरसाईकिलों को रूकने का ईशारा करने पर दोनों ही मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिलों को वापस मोड कर भागने लगे।

श्रीमती प्रीति जैन ने बताया कि उक्त मोटरसाईकिल पर लोकेश कुमार निवासी बसोली जिला बून्दी, राकेश पुत्र श्री भॅवरलाल मीना निवासी धुवाला थाना हनुमाननगर, राहुल पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना निवासी रामपुरा की झोपडया तथा अभिषेक पुत्र श्री जयनारायण मीना माताजी का थांवला कालोनी थाना देवली जिला टोंक से पुछताछ करने पर दोनों मोटर साईकिलें चोरी

की होना बताने व पुलिस को धौखा देकर पकड से बचने की नियत से नम्बर RJ-48-SA-6604 की प्लेटे बनवाकर लगाना बताने पर मोटरसाईकिल पल्सर चैचिस नम्बर MD2A11CZ2FWH19464 व इंजन नम्बर DHZWFH83538 व दुसरी मोटरसाईकिल पल्सर चैचिस नम्बर MD2A11CZ5FWF38438 व इंजन नम्बर DHZWFF59920 को जब्त कर लोकेश मीना, राकेश मीना तथा राहुल मीना, अभिषेक मीना को गिरफतार किया गया।

उन्होंने बताया कि मुल्जिमों से पुछताछ करने पर जिला टोंक, अजमेर, बून्दी व भीलवाडा इलाके में करीबन 22 चोरी व नकबजनी की वारदात करना स्वीकार किया है। जिनमें मुख्यत 1 मारूती वेन तोपदडा अजमेर से, 1 मारूती 800 तोपदडा पाल बिचला अजमेर से, 1 स्पलेण्डर बून्दी से, 1 स्पलेण्डर देवली से, 1 हीरो एच.एफ. डिलक्स शास्त्रीनगर अजमेर से, 1 एच.एफ.डिलक्स घटीयाली सांवर अजमेर से, 1 टी.वी.एस. स्पोर्ट कुचलवाडा थाना हनुमाननगर से, 1 स्कुटी पलेजर अजमेर तोपदडा से, ई मित्र का कम्पयुटर सिस्टम पुरा तथा फोटो कापी मशीन, लेमीनेशन व प्रिन्टर मशीन, लेपटाप अमरवासी थाना हनुमाननगर से तथा अन्य कई दुकानो व कैबिनो के ताले तौड गैस सलेण्डर, चुल्हा व परचुन सामान चोरी करना कबूल किया है। जिस पर हर चारों मुल्जिमानों को माननीय न्यायालय एम.जे.एम. देवली में पेश कर 3 योम पी.सी. रिमाण्ड पर लिया जाकर गहनता से पुछताछ जारी है तथा अन्य चोरी की भी वारदाते खुलने की संभावना है।

राही/सन्तरा/392/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

डॉक्टर के विरुद्ध बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली ब्लैकमेलिंग गिरोह की है सदस्या गिरफ्तार,

शिखा तिवाडी उर्फ अंकिता

जयपुर, 15 मई। एसओजी ने बलात्कार के झूठे मुकदमें दर्ज कराने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर करोडों रुपये ऐंठने वाले अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह की सदस्या सुश्री शिखा तिवाडी उर्फ अंकिता उर्फ डीजे अदा को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

एसओजी महानिरीक्षक श्री दिनेश एम.एन. ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह की सदस्या सुश्री शिखा तिवाडी उर्फ अंकिता उर्फ डीजे अदा पुत्री श्री आदित्य प्रकाश तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल स्थाई निवासी, 96, गया गुरु की गली, सीताराम बाजार, ब्रह्मपुरी, जयपुर व फ्लैट 801, मेघदूत, ए विंग, लोखण्डवाला बैक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई को एसओजी की टीम ने मुम्बई से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शिखा तिवाड़ी दिसम्बर 2016 से फरार चल रही थी।

एसओजी महानिरीक्षक ने बताया कि एसओजी द्वारा दिसम्बर 2016 में बलात्कार की धमकी देकर ब्लैकमैलिंग करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया था। अब तक इन गिरोहों के 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसी गिरोह ने जयपुर शहर के वैशाली नगर में मेड्स्पिा के नाम हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक चलाने वाले डॉ. सुनीत सोनी को चिन्हित कर उनके पास योजनाबद्ध तरीके से शिखा तिवाड़ी को हेयर ट्रीटमेंट कराने भेजा गया था। शिखा ने अपने आप को डिप्रेशन में बताते हुए डॉ. सुनीत सोनी को अपने साथ पुष्कर घुमाने चलने का दबाव डाला।

उन्होंने बताया कि शिखा ने योजनानुसार डॉ. सुनीत सोनी से पुष्कर में एक रिसोर्ट में कमरा बुक करा दिया। डॉ. सुनीत शिखा को पुष्कर छोडकर रात में ही जयपुर आ गया। लेकिन शिखा ने डॉ. सुनीत को बार–बार फोन यह कहते हुए किये कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है एवं वह डिप्रेशन में है, इसलिये अभी वापस पुष्कर आकर उसे ले जायें। डॉ. सुनीत रात में वापस अपनी गाडी से पुष्कर गया और रात रुककर जयपुर आ गया।

श्री दिनेश एम.एन. ने बताया कि एक दो दिन बाद ही अक्षत शर्मा व विजय उर्फ सोनू शर्मा ने डॉ. सुनीत सोनी को लड़की से मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर एक करोड़ रुपये मांगे। दोनों ने अपने आप को मिडियाकर्मी होना बताया व मिडिया में भी न्यूज चलाने की धमकी दी। डॉक्टर सुनीत ने रुपये देने से इंकार कर दिया तो गिरोह के सरगना वकील नवीन देवानी, नितेश बंधु शर्मा व गिरोह के अन्य सदस्यों ने शिखा से डॉ. सुनीत सोनी के विरुद्ध थाना पुष्कर पर धारा 376 आईपीसी में बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। सुनीत को इस मामले में पुष्कर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

तत्पश्चात् डॉ. सुनीत सोनी के पिता व उसके भाई से गिरोह ने समझौते के नाम पर करीब एक करोड़ रुपये लेकर शिखा के कोर्ट में पक्षद्रोही (Hostile) बयान करवाये। डॉक्टर सुनीत सोनी को बलात्कार के एक झूठे मुकदमें में 78 दिन तक जेल में रहना पड़ा।

उन्होंने बताया कि एसओजी द्वारा गिरोह की धरपकड़ शुरु करते ही शिखा तिवाडी जयपुर छोडकर मुम्बई चली गई। वहां उसने **डीजे अदा** के नाम से म्यूजिकल ग्रुप बना लिया, जो बड़ी होटलों में अपने प्रोग्राम आयोजित करता है। उन्होंने बताया कि शिखा तिवाडी उर्फ अंकिता उर्फ डीजे अदा को मुम्बई की एक होटल से एसआई मोहन लाल, महिला कानि. सुनिता वर्मा ने प्रोग्राम के दौरान दस्तयाब किया।

श्री दिनेश एम.एन. ने बताया कि शिखा से विस्तृत पूछताछ जारी है। प्रकरण का अनुसंधान एएसपी करन शर्मा के दिशा निर्देशन में सूर्यवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

संशोधित प्रेसनोट

जयपुर ग्रामीण जिले के दो पुलिसकर्मी विशेष पदोन्नति से पुरस्कृत

जयपुर, 15 मई। अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी व कर्त्तव्य निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के फलस्वरूप जयपुर ग्रामीण के 2 पुलिसकर्मियों को महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट ने पदोन्नति प्रदान कर सम्मानित किया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट ने जयपुर ग्रामीण जिले के एक ही नाम के दो कान्सटेबल श्री रामनिवास बैल्ट नम्बर 277 एवं श्री रामनिवास बैल्ट नम्बर 142 को हैड कॉन्सटेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान कर सम्मानित किया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर रात्रि के समय हाईवे पर लग्जरी गाडियों में परिवार सहित सफर करने वाले लोगों को अज्ञात लूटेरे निशाना बनाकर हथियार के बल पर लूट कर फरार हो जाते थे, जिससे रात्रि के समय उक्त हाईवे से गुजरने वाले छोटे वाहनो में सवार परिवारों में भय व असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया था। यहां तक की उक्त बदमाशों के होसले इतने बुलन्द हो गये थे कि वे एक ही रात में दो–दो वारदातें करने लग गये थे।

श्री सिंह ने बताया कि उक्त घटनाओं को ट्रेसआउट करने हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी चन्दवाजी ने श्री रामनिवास कानि. 277 एवं श्री रामनिवास कानि. 142 थाना चन्दवाजी जिला जयपुर ग्रामीण की विशेष टीम घटित कर कार्यवाही की गई।

उक्त टीम द्वारा लगातार मेवात क्षेत्र में रहकर अपनी जान की परवाह किये बिना हरियाणा की मेव गैंग का पर्दाफाश करने के साथ ही अन्तर्राज्यीय गैंग द्वारा की गई एक दर्जन से अधिक वारदातों का भी पर्दाफाश किया तथा भारी मात्रा में सोने—चांदी के जेवरात, कीमती सामान, एप्पल लेपटॉप व विदेशी घड़ियां बरामद करने में सफलता हासिल की थी।

————

राही / मनीष / अमन / 369—70 / 2017

नोटः— उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।